

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2022-23/ 6605

दिनांक- 30.06.2023

समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय,
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय- कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2022-23 (12वीं उत्तीर्ण) एवं (10वीं उत्तीर्ण, ST वर्ग) की छात्राओं हेतु, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2022-23 हेतु विद्यार्थियों से आक्षेप पूर्ति एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा संबंधित मुख्यालय को फॉरवर्ड करने के संबंध में।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2022-23 (12वीं उत्तीर्ण) एवं (10वीं उत्तीर्ण, ST वर्ग) की छात्राओं हेतु, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2022-23 हेतु छात्राओं से आक्षेप पूर्ति एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा संबंधित मुख्यालय को फॉरवर्ड हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल को पुनः खोला जा रहा है जिसकी तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र. सं	योजना का नाम	छात्राओं को आक्षेप पूर्ति हेतु अंतिम तिथि	जिला नोडल महाविद्यालयों/जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित मुख्यालय को फारवर्ड हेतु अंतिम तिथि
1	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2022-23 (12वीं उत्तीर्ण) छात्राओं हेतु- 1. उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग), 2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SC वर्ग) 3. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (ST वर्ग) 4. अल्पसंख्यक मामलात विभाग (Minority वर्ग) 5. माध्यमिक शिक्षा विभाग (EBC वर्ग) 6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग हेतु)	दिनांक-01.07.2023 से 06.07.2023 तक	दिनांक-01.07.2023 से 08.07.2023 तक
2	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2022-23 (10वीं उत्तीर्ण) छात्राओं हेतु (ST वर्ग)	दिनांक-01.07.2023 से 06.07.2023 तक	जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा TAD को फारवर्ड हेतु दिनांक-01.07.2023 से 08.07.2023 तक
3	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2022-23	दिनांक-01.07.2023 से 06.07.2023 तक	दिनांक-01.07.2023 से 08.07.2023 तक

d:\scholarship\online scholarship\date extend 2022-23.docx

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.30 17:27:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4169952

उक्त योजनाओं के अंतर्गत आक्षेपित आवेदनकर्ता (छात्राओं) के दूरभाष पर व्यक्तिशः वार्ता कर आक्षेपों की पूर्ति कराना सुनिश्चित करावें।

यदि किसी जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र छात्रा किसी प्रकार का कोई वाद दायर करते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित जिला नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2022-23/ 6606 — 6610 दिनांक- 30.06.2023
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. प्रभारी वेबसाइट; को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

d:\scholarship\online scholarship\date extend 2022-23.docx

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.30 17:27:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4169952

